विविध सिविल

इससे पहले बी. एस. ढिल्लों और एम. आर. शर्मा, जे.जे.

बापौली सहकारी कृषि सेवा

समिति, - *याचिकाकर्ता।*

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य, *उत्तरदाता।*

1976 की सिविल रिट संख्या 427

19 अप्रैल, 1976।

पंजाब सहकारी समिति अधिनियम (1961 का XXV) – धारा 23, 84-A और 85 (2) (xxxviii) – हरियाणा राज्य केंद्रीय सहकारी बैंक कर्मचारी सेवा (सामान्य संवर्ग) नियमावली, 1975- धारा 84-एआई के तहत बनाए गए नियम - क्या धारा 23 - विधायिका द्वारा प्रदत्त प्राथमिक समाज के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं - क्या ऐसे नियमों को तैयार करने के लिए दिशानिर्देश प्रदान किए गए हैं।

यह माना गया कि सहकारी समिति में अंतिम अधिकार पंजाब सहकारी समिति अधिनियम 1961 की धारा 23 में निर्धारित उप-नियमों के अनुसार चुने गए अपने सदस्यों या उसके प्रबंध निकाय की आम सभा में निहित है, लेकिन यह प्राधिकरण पूर्ण नहीं है और प्रतिबंधों से मुक्त है। यहां तक कि सदस्यों की सामान्य सभा भी ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकती है जो सहकारी सिद्धांतों के अनुसार किसी समाज के सदस्यों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए अपमानजनक हो सकता है; न ही आम सभा ऐसा कोई निर्णय ले सकती है जो अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के विपरीत हो। अधिनियम की धारा 23 की व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिए कि इसका संचालन अधिनियम के कुछ अन्य प्रावधानों को शून्य न कर दे। एक शीर्ष समाज को केंद्रीय और प्राथमिक समितियों को धन देना होता है। इसलिए, यह आवश्यक है कि इस धन का प्रभावी उपयोग उधार लेने वालों और उधार देने वाली समितियों के लाभ के लिए किया जाना चाहिए। इसलिए, कानून ने उधार देने वाले समाज के हितों के पक्ष में झुकते हुए प्रावधान किया है कि ऐसी समितियों को लोक सेवकों के वर्गों को नियंत्रित करने वाले नियम बनाने चाहिए, जिन्हें उनके द्वारा दिए गए धन को संभालने का कर्तव्य सौंपा गया है और अधिनियम की धारा 84-ए ने रजिस्ट्रार को ठीक यही करने के लिए अधिकृत किया है। शीर्ष सोसायटी द्वारा बनाए गए सेवा नियमों में प्राथमिक सोसाइटियों के सचिवों की सेवा की शर्तें निर्धारित की गई हैं जो अधिनियम की धारा 23 के तहत उसे प्रदान किए गए समाज के सामान्य निकाय के अधिकार का आवश्यक रूप से अतिक्रमण नहीं करती हैं। ऐसी सामान्य सभा या एक छोटा निकाय सचिवों को दिन-प्रतिदिन के निर्देश देना जारी रखेगा जो उनका पालन करने के लिए बाध्य होंगे। ये नियम तभी लागू होंगे जब प्राथमिक समिति और उसके सचिवों की आम सभा के साथ स्वामी और सेवक के संबंधों से संबंधित विवाद पर विचार किया जाएगा। जहां कोई सचिव प्राथमिक सोसायटी की आम सभा द्वारा जारी विधिसम्मत निर्देशों का पालन या पालन नहीं करता है, उसके खिलाफ सामान्य संवर्ग नियमों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सचिव सदस्यों की सामान्य सभा के अधीनस्थ नहीं है। अधिनियम की धारा 23 और 84-क के प्रचालन क्षेत्रों के बीच कोई संघर्ष नहीं है। दोनों को अलग-अलग उद्देश्यों के लिए अधिनियमित किया गया है और किसी भी तरह से दूसरे की प्रयोज्यता को बाधित किए बिना पूर्ण प्रभाव दिया जा सकता है। इस प्रकार, धारा 84-ए के तहत बनाए गए नियम अधिनियम की धारा 23 द्वारा प्रदत्त प्राथमिक समाज के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते हैं। (Paras 18 and 20).

अधिनियम की धारा 84-ए (2) में कहा गया है कि शीर्ष सोसायटी, रजिस्ट्रार के पूर्व अनुमोदन से, भर्ती के विनियमन और ऐसे कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के लिए नियम बनाएगी। 'भर्ती' और 'सेवा की शर्तें' शब्द ऐसे अर्थ प्राप्त करने के लिए आए हैं जो अच्छी तरह से ज्ञात हैं और नियम बनाने के लिए शीर्ष समाज को पर्याप्त दिशानिर्देश प्रस्तुत करते हैं। जहां विधायिका आवश्यक विधायी कार्यों को अपने हाथों में रखती है और पर्याप्त स्पष्टता के साथ एक विधायी नीति को लागू करके क़ानून के उद्देश्यों और उद्देश्यों को लागू करने का कार्य सौंपती है, नियम बनाने वाले प्राधिकारी द्वारा बनाए गए नियमों को अत्यधिक प्रत्यायोजन के दोष से ग्रस्त नहीं कहा जा सकता है। शीर्ष सोसायटी जो अपने सदस्य समाज को धन की आपूर्ति करती है, उससे यह जानने की उम्मीद की जाती है कि एक विशेष मानक और सेवा की सुरक्षा के अधिकारी उसके द्वारा उन्नत धन को संभालने के लिए सबसे उपयुक्त होंगे। इसके द्वारा केवल भर्ती और सेवा की शर्तों के विनियमन के संबंध में नियम तैयार किए जाने हैं। अधिनियम की धारा 84-ए (2) को लागू करके, विधायिका ने अपनी नीति को एक स्पष्ट अभिव्यक्ति दी है और अपने आवश्यक विधायी कार्यों को किसी बाहरी एजेंसी के पक्ष में नहीं सौंपा है।

(पैरा 21 और 22)).

माननीय न्यायमूर्ति बी. एस. ढिल्लों द्वारा 7 नवंबर, 1975 को मामले में शामिल कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के निर्णय के लिए

एक खंडपीठ को मामला भेजा गया। माननीय न्यायमूर्ति बी. एस. ढिल्लों और माननीय न्यायमूर्ति एम. आर. शर्मा की खंडपीठ ने अंततः 19 अप्रैल, 1976 को मामले का फैसला किया।

मैं

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत संशोधित याचिका में प्रार्थना की गई है कि मामले के रिकॉर्ड मांगे जाएं और अवलोकन के बाद :

1. *आक्षेपित संकल्प को उचित रिट, आदेश या निर्देश के माध्यम से रद्द किया जा सकता है;*
2. *प्रतिवादी संख्या 75 द्वारा तैयार किए गए सामान्य संवर्ग नियम 75 3. अधिनियम, नियमों और प्राथमिक समितियों के उपनियमों के प्रावधानों के रूप में निरस्त किया जाए;*
3. *इस रिट याचिका के अंतिम निपटान तक लागू संकल्प और सामान्य कैडर नियमों के संचालन पर रोक लगाई जाए,*
4. *याचिकाकर्ता को किसी अन्य उचित राहत की अनुमति दी जाए और*
5. *याचिकाकर्ता को याचिका की लागत दी जाए;*

याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट एन. एस. अहलावत के साथ एडवोकेट प्रेम सिंह ।

आर. के. छोकर, अधिवक्ता, हस्तक्षेपकर्ता।

सी. बी. कौशिक, एडवोकेट, ए.जी. (एच.आई.) के लिए नंबर 1 से 4 तक।

एम. आर. शर्मा, जे.

(1) याचिकाकर्ता पंजाब सहकारी समिति अधिनियम, 1961 (इसके बाद अधिनियम कहा जाता है) के तहत पंजीकृत एक सहकारी समिति है। अधिनियम की धारा 84-ए के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, हरियाणा, चंडीगढ़ ने शीर्ष सोसायटी प्रतिवादी संख्या 3 को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता-सोसायटी सहित अपने सदस्य समाजों के सेवकों की कुछ श्रेणियों पर लागू सामान्य कैडर नियम तैयार करे। उत्तरदाता संख्या 3 ने परिणामस्वरूप प्राथमिक सहकारी कृषि ऋण/सेवा समितियों को तैयार किया। सचिव सामान्य संवर्ग नियम, 1973। जिन्हें बाद में हरियाणा राज्य केंद्रीय सहकारी बैंक कर्मचारी सेवा (सामान्य संवर्ग) नियम, 1975 (इसके बाद नियम कहा जाता है) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। यह आरोप लगाया गया है कि ये नियम अधिनियम की धारा 23 (1) के तहत उन्हें प्रदान किए गए प्राथमिक सहकारी समितियों के वैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, जो यह निर्धारित करता है कि सहकारी समिति में अंतिम अधिकार सदस्यों के सामान्य निकाय में निहित होगा और जहां ऐसी सोसायटी के उप-नियम एक छोटे निकाय का गठन प्रदान करते हैं, ऐसा प्राधिकार समाज के प्रतिनिधि सदस्यों से मिलकर बने छोटे निकाय में निहित होगा।.

(2) चुनौती का दूसरा आधार यह है कि विधायिका ने अधिनियम की धारा 84-ए में शीर्ष समितियों को अपेक्षित नियम बनाने के लिए पर्याप्त दिशा-निर्देश प्रदान नहीं किए हैं। याचिकाकर्ता-सोसाइटी ने आग्रह किया है कि वह लगभग पांच साल पहले नियुक्त सचिव द्वारा प्रदान की गई सेवा से अत्यधिक संतुष्ट है, जिसे वह अब भी बनाए रखना चाहता है और सामान्य कैडर नियमों के कारण उसे अपनी सेवाओं को समाप्त करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।

(3) यह याचिका और इस तरह की कुछ अन्य याचिकाएं 7 नवंबर, 1975 को मेरे विद्वान भाई ढिल्लों, जे के समक्ष सुनवाई के लिए आईं। उनके समक्ष यह तर्क दिया गया था कि धारा 84-ए के प्रावधान अधिनियम की धारा 23 और धारा 85 (2) (xxxviii) के प्रावधानों के विपरीत हैं। मेरे विद्वान भाई का विचार था कि इसमें शामिल प्रश्न विभिन्न समितियों के बड़ी संख्या में कर्मचारियों को प्रभावित करने वाला काफी महत्वपूर्ण था, और इस कारण से उन्होंने सिफारिश की कि मामले का निर्णय एक बड़ी पीठ के माध्यम से किया जाए। इस प्रकार, यह संदर्भ निर्णय के लिए हमारे समक्ष आया है।.

(4) प्रारंभ में ही मैं अधिनियम के उपबंधों पर ध्यान देना चाहूंगा। अधिनियम की धारा 2 में अधिनियम में प्रयुक्त कतिपय अभिव्यक्तियों की परिभाषा प्रदान की गई है। उपधारा (एए) के अनुसार, 'शीर्ष समिति' का अर्थ है 'एक सहकारी समिति जिसकी सदस्यता में केंद्रीय समितियां शामिल हैं। उप-धारा (बीबी) के अनुसार, एक 'केंद्रीय समिति' का अर्थ है 'एक सहकारी समिति जिसकी सदस्यता में प्राथमिक समितियां शामिल हैं। उप-धारा (बीबीबी) के अनुसार, एक 'प्राथमिक सोसायटी' का अर्थ एक सहकारी समिति है जिसकी सदस्यता में विशेष रूप से व्यक्ति शामिल हैं।

(5) धारा 2 की उपधारा (बी) के अनुसार 'समिति' का अर्थ है 'सहकारी समिति का शासी निकाय, जिसे किसी भी नाम से बुलाया जाता है, जिसे सोसायटी के मामलों का प्रबंधन सौंपा जाता है।

(6) प्रत्येक समिति अधिनियम के तहत सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत होने की हकदार नहीं है। धारा 4 में कहा गया है कि अधिनियम की अन्य शर्तों के अधीन रहते हुए, एक ऐसी सोसाइटी जिसका उद्देश्य सहकारी सिद्धांतों के अनुसार अपने सदस्यों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है, या ऐसी सोसाइटी के संचालन को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से स्थापित एक सोसायटी, सीमित दायित्व के साथ या उसके बिना अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जा सकता है। सहकारी सिद्धांतों के अनुसार एक समाज के सदस्यों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाता है।

(7) धारा 7 में बताया गया है कि रजिस्ट्रार द्वारा सोसायटी के पंजीकरण के लिए आवेदन कैसे किया जाना है। धारा 8(1) का कुछ महत्व है जिसे निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया जा सकता है:-

"8. पंजीकरण (1) यदि रजिस्ट्रार संतुष्ट है-

1. कि आवेदन इस अधिनियम और नियमों के प्रावधानों का अनुपालन करता है,

2. कि प्रस्तावित सोसायटी के उद्देश्य धारा 4, आर के अनुसार हैं

3. कि प्रस्तावित उप-नियम इस अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के विपरीत नहीं हैं, और

(घ) कि प्रस्तावित समाज की सफलता की उचित संभावना है।

रजिस्ट्रार सोसायटी और उसके उप-नियमों को पंजीकृत कर सकता है "

(8) न केवल समाज का उद्देश्य सहकारी सिद्धांतों के अनुसार अपने सदस्यों के आर्थिक हितों का संवर्धन होना चाहिए, बल्कि इसके उप-नियम भी अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के विपरीत नहीं होने चाहिए।

(9) धारा 10-ए रजिस्ट्रार को किसी सोसाइटी के उप-नियमों में संशोधन का निर्देश देने का अधिकार देती है यदि वह संतुष्ट है कि ऐसा संशोधन ऐसे समाज के हित में आवश्यक या वांछनीय है।

धारा 23 फिर से कुछ महत्व की है और निम्नानुसार है: –

"23. ***अंतिम प्राधिकरण एक सहकारी समिति है :-***

1. सहकारी समिति में अंतिम प्राधिकारी सदस्यों के सामान्य निकाय में निहित होगा:

परन्तु जहाँ सहकारी समिति के उपनियमों में ऐसे उपनियमों के अनुसार निर्वाचित या चयनित समिति के सदस्यों के प्रतिनिधियों से मिलकर छोटे निकाय के गठन का प्रावधान है, वहाँ छोटा निकाय सामान्य निकाय की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो विहित की जाएँ या जो सोसायटी के उपनियमों में विनिर्दिष्ट की जाएँ;

2. धारा 19 की उप-धारा (2) में निहित किसी भी चीज के बावजूद, प्रत्येक प्रतिनिधि के पास समाज के मामलों में एक वोट होगा।

10. इस मामले में यह सवाल उठने की संभावना है कि क्या प्रबंध निकाय के पास अधिनियम के अन्य प्रावधानों की परवाह किए बिना अपना व्यवसाय करने का असीमित अधिकार है या नहीं।

11. ऐसे कुछ उदाहरण हैं जिनमें प्रबंध निकाय अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले अपने उत्तराधिकारी का चुनाव नहीं कर सका। ऐसी स्थिति में, अधिनियम की धारा 26-ए रजिस्ट्रार को कुछ मामलों में एक नई समिति गठित करने का अधिकार देती है,

12. धारा 27 रजिस्ट्रार को किसी समिति का स्थान लेने का अधिकार देती है, यदि उसकी राय में ऐसी समिति अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों या उप-नियमों द्वारा उस पर लगाए गए कर्तव्यों के पालन में लगातार चूक करती है या लापरवाही बरतती है, या सोसाइटी कोई ऐसा कार्य करती है जो उसके हित या उसके सदस्यों के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण है।

13. धारा 30 में प्रावधान है कि किसी सहकारी समिति का पंजीकरण उसे उस नाम से कॉरपोरेट निकाय बना देगा, जिसके तहत वह स्थायी उत्तराधिकार और एक समान मुहर के साथ पंजीकृत है, और संपत्ति रखने की शक्ति, अनुबंध में प्रवेश करने की शक्ति और कानूनी

कार्यवाही शुरू करने और बचाव करने की शक्ति का भी आनंद लेगा।

14. अगला खंड जो इस मामले के प्रयोजन के लिए प्रासंगिक है, अधिनियम की धारा 84-ए है जिसे चुनौती दी जा रही है। यह निम्नानुसार है: –

"84-ए ***सामान्य संवर्ग का गठन:-***

1. रजिस्ट्रार को एक शीर्ष सोसाइटी से यह अपेक्षा की जा सकती है कि वह उस सोसाइटी की सेवा में या केंद्रीय समितियों की सेवा में कर्मचारियों के सभी या विशिष्ट वर्ग का एक सामान्य कैडर गठित करे, जो शीर्ष सोसायटी के सदस्य हैं, या प्राथमिक समितियों की सेवा में जो शीर्ष सोसायटी या उपरोक्त केंद्रीय समितियों के सदस्य हैं।

जब उप-धारा (2) के तहत एक सामान्य कैडर का गठन किया जाता है, तो शीर्ष सोसायटी, रजिस्ट्रार की पूर्व स्वीकृति के साथ, भर्ती के विनियमन और ऐसे कर्मचारियों की सेवा की शर्त के लिए नियम बनाएगी।

15. अधिनियम की धारा 85 राज्य सरकार को अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने की शक्ति प्रदान करती है। इस धारा की उप-धारा (2) में कहा गया है कि नियम निम्नलिखित के लिए भी बनाया जाएगा-

"85. (2) (xxxviii) :

समिति के सदस्यों और समाज या समाज के वर्ग के कर्मचारियों के लिए योग्यता और सेवा की शर्तें जिनके अधीन व्यक्तियों को समितियों द्वारा नियोजित किया जा सकता है।

(I6) अधिनियम के उपर्युक्त प्रावधानों पर संचयी विचार करने से यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि सहकारी सिद्धांतों पर अपने सदस्यों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गठित समितियों को अधिनियम के तहत रजिस्ट्रार द्वारा पंजीकृत किया जा सकता है। इन सोसाइटियों के उपनियमों को अधिनियम के उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के विपरीत नहीं माना जाता है। उपनियमों में संशोधन के लिए रजिस्ट्रार के पास ***स्वत:*** आवेदन करने के सोसायटी के अधिकार के अलावा , रजिस्ट्रार को स्वयं यह अधिकार है कि वह किसी सोसाइटी को अपने उपनियमों में संशोधन करने का निर्देश दे सकता है, यदि वह संतुष्ट है कि ऐसा संशोधन ऐसी सोसायटी के हित में आवश्यक या वांछनीय है। चूंकि किसी सोसायटी के उपनियमों का अधिनियम के उपबंधों और अधिनियम की धारा 8(1)(ग) में निर्धारित नियमों के अनुरूप होना आवश्यक है, इसलिए यह निष्कर्ष निकालना उचित होगा कि जहां कहीं भी रजिस्ट्रार को यह प्रतीत होता है कि किसी विशेष सोसायटी के उपनियम अधिनियम के उपबंधों और उसके तहत बनाए गए नियमों के विरुद्ध हैं, उसे न केवल उप-नियमों में संशोधन का आदेश देने का अधिकार होगा, बल्कि अधिनियम की धारा 10-ए के तहत ऐसा करने का कर्तव्य भी होगा। रजिस्ट्रार सहकारी समितियों के लिए एक संरक्षक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। वह यह सुनिश्चित करने के लिए एक वैधानिक दायित्व के अधीन है कि ये समितियां कार्य करना जारी रखें। इस उद्देश्य के लिए, उन्हें प्रबंध समितियों के चुनाव की निगरानी करने और निर्वाचित समिति का कार्यकाल समाप्त होने या समिति के वैधानिक कर्तव्यों के प्रदर्शन में गलत पाए जाने पर समिति को नामित करने या प्रतिस्थापित करने का अधिकार दिया गया है, जैसा भी मामला हो। संक्षेप में, नियंत्रण और पर्यवेक्षण की अंतिम शक्ति रजिस्ट्रार में निहित है। उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि सहकारी समितियां जो अधिनियम के अंतर्गत निगमित निकाय हैं, अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्य करती रहें।

(17) एक सहकारी समिति में अंतिम अधिकार निश्चित रूप से अधिनियम की धारा 23 में निर्धारित उप-नियमों के अनुसार चुने गए अपने सदस्यों या उसके प्रबंध निकाय के सामान्य निकाय में निहित होता है, लेकिन यह प्राधिकरण पूर्ण और प्रतिबंधों से मुक्त नहीं है। यहां तक कि सदस्यों की सामान्य सभा भी सहकारी सिद्धांतों के अनुसार ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकती है जो किसी सोसायटी के सदस्यों के आर्थिक हितों के संवर्धन के लिए अपमानजनक हो, न ही सामान्य निकाय ऐसा कोई निर्णय ले सकता है जो अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के विपरीत हो। जब इस आलोक में विचार किया जाता है, तो अधिनियम की धारा 23 की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए ताकि इसका संचालन अधिनियम के कुछ अन्य प्रावधानों को शून्य न कर दे। यह स्थापित कानून है कि एक क़ानून के दो प्रावधानों को इस तरह से पढ़ा जाना चाहिए कि उनमें से एक आवश्यक रूप से दूसरे को निरस्त न करे। किसी क़ानून के एक प्रावधान को दूसरे द्वारा निरस्त करने का प्रश्न तभी उठता है जब उनमें से दो एक-दूसरे के साथ पूरी तरह से असंगत होते हैं या यदि उन्हें पढ़ा जाता है, तो वे पूरी तरह से 'बेतुके परिणाम' पैदा करेंगे। . यदि निष्पक्ष और उचित व्याख्या के आधार पर इन दोनों उपबंधों का एक-दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है, तो न्यायालयों का यह कर्तव्य है कि वे ऐसी व्याख्या को अपनाएं और अधिनियम के दो उपबंधों को पूर्ण प्रभाव प्रदान करें, बजाय इसके कि उनमें से एक को दूसरे द्वारा निरस्त किया जाए। इस संबंध में

देखिए, ***अंबाला भूतपूर्व सैनिक परिवहन सहकारी समिति लिमिटेड, अंबाला शहर और एक अन्य पंजाब राज्य और अन्य***।[1] आधुनिक समय में अपने कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त करने के लिए मास्टर को पूर्ण अधिकार की अनुमति देने वाले लाइज़ फेयर के सिद्धांत ने सभी महत्व खो दिए हैं। औद्योगिक कानून के तहत। औद्योगिक कामगारों के कार्यकाल की सुरक्षा से बचने के लिए व्यापक प्रावधान किए गए हैं। इस प्रकार, यहां तक कि एक निजी मास्टर को भी औद्योगिक श्रमिकों के रोजगार को समाप्त करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जब तक कि वे कदाचार का कार्य नहीं करते हैं। यहां तक कि जब कदाचार का आरोप लगाया जाता है, तो स्थायी आदेशों के प्रावधानों के अनुसार जांच की जानी चाहिए जो कुल मिलाकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप हैं। ठीक इन कारणों से, यह कहा जाता है कि आजकल संविदात्मक दायित्व के तत्व धीरे-धीरे एक सार्वजनिक सेवा के आवश्यक गुणों के रूप में गायब हो रहे हैं जो अधिक से अधिक स्थिति का विषय बनता जा रहा है।.

18. सामान्य कानून के तहत भी, यह आवश्यक नहीं है कि स्वामी स्वयं नौकर पर नियंत्रण की सभी शक्तियों का प्रयोग करे। हैल्सबरी के इंग्लैंड के नियमों के अनुसार, तीसरा संस्करण। खंड 25. पृष्ठ 447-

"एक व्यक्ति दूसरे का नौकर हो सकता है, हालांकि एक तीसरे पक्ष के पास उसे नियुक्त करने या बर्खास्त करने या उसकी बर्खास्तगी की आवश्यकता की शक्ति है, या उसके काम के संबंध में दिशा और नियंत्रण की शक्तियां हैं, या उसे उसकी मजदूरी का भुगतान करता है। एक व्यक्ति एक नौकर हो सकता है, हालांकि मजदूरी के बजाय अन्यथा पारिश्रमिक दिया जाता है या हालांकि केवल इच्छानुसार नियोजित किया जाता है; और संबंध नष्ट नहीं होता क्योंकि मालिक नौकर के साथ काम करता है। एक व्यक्ति विभिन्न स्वामियों का सेवक हो सकता है; और अनन्य व्यक्तिगत सेवा के लिए एक अनुबंध आवश्यक रूप से मालिक और नौकर के संबंध को स्थापित नहीं करता है।

(18) एपेक्स सोसाइटी केंद्रीय और प्राथमिक समितियों को धन प्रदान करेगी। इसलिए, यह आवश्यक है कि इस धन का प्रभावी उपयोग उधार लेने वालों और उधार देने वाली समितियों के लाभ के लिए किया जाना चाहिए। इसलिए, कानून उधार लेने वाले समाज के हितों के पक्ष में झुक सकता है, यह प्रावधान करके कि ऐसी समितियों को जनता के वर्गों को नियंत्रित करना चाहिए। ऐसे नौकर जिन्हें उनके द्वारा उन्नत धन को संभालने का कर्तव्य सौंपा गया हो । अधिनियम की धारा 84-क ने रजिस्ट्रार को ठीक यही करने के लिए अधिकृत किया है। शीर्ष सोसायटी द्वारा बनाए गए सेवा नियमों में प्राथमिक समितियों के सचिवों की सेवा की शर्तें निर्धारित की गई हैं जो आवश्यक रूप से अधिनियम की धारा 23 के तहत प्रदत्त सोसायटी के सामान्य निकाय के अधिकार का अतिक्रमण नहीं करती हैं। ऐसी सामान्य सभा या एक छोटा निकाय सचिवों को दिन-प्रतिदिन के निर्देश देना जारी रखेगा जो उनका पालन करने के लिए बाध्य होंगे। ये नियम तभी लागू होंगे जब प्राथमिक समितियों और उसके सचिवों की आम सभा के साथ स्वामी और सेवक के संबंधों को छूने वाले विवाद पर विचार किया जा रहा हो। जहां कोई सचिव प्राथमिक सोसायटी की आम सभा द्वारा जारी विधिसम्मत निर्देशों का पालन या पालन नहीं करता है, उसके खिलाफ सामान्य संवर्ग नियमों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सचिव सदस्यों की सामान्य सभा के अधीनस्थ नहीं है। अपनी बात करते हुए, मैं अधिनियम की धारा 23 और 84-ए के संचालन के क्षेत्रों के बीच कोई संघर्ष नहीं देख सकता हूं। दोनों को अलग-अलग उद्देश्यों के लिए अधिनियमित किया गया है और किसी भी तरह से दूसरे की प्रयोज्यता को बाधित किए बिना पूर्ण प्रभाव दिया जा सकता है। इसलिए, याचिकाकर्ता-सोसायटी की ओर से उठाए गए पहले विवाद को खारिज किया जाना चाहिए।

19. बड़ी संख्या में मामलों में सुप्रीम कोर्ट के उनके लॉर्डशिप के आधिकारिक फैसलों को देखते हुए हमले का दूसरा आधार जांच में भी टिक नहीं पाता है। अधिनियम की धारा 84-ए (2) में कहा गया है कि शीर्ष सोसायटी, रजिस्ट्रार के पूर्व अनुमोदन से, भर्ती के ***विनियमन*** और ऐसे कर्मचारियों की सेवा की शर्तों ***(जोर दिया गया) के*** लिए नियम बनाएगी । शब्द • भर्ती और "सेवा की शर्तें" अर्थ प्राप्त करने के लिए आए हैं जो अच्छी तरह से ज्ञात हैं। ये शब्द शीर्ष समाज को नियम बनाने के लिए पर्याप्त दिशानिर्देश प्रस्तुत करते हैं। जहां विधायिका आवश्यक विधायी कार्यों को अपने हाथों में रखती है और पर्याप्त स्पष्टता के साथ एक विधायी नीति को लागू करके क़ानून के उद्देश्यों और उद्देश्यों को लागू करने का कार्य सौंपती है, नियम बनाने वाले प्राधिकरण द्वारा बनाए गए नियमों को अत्यधिक प्रत्यायोजन के दोष से ग्रस्त नहीं कहा जा सकता है। दिल्ली नगर निगम ***बनाम*** दिल्ली नगर निगम***बिरलू कपास, कताई और बुनाई मिल। दिल्ली और एक अन्य विषय***[2] पर यह निम्नानुसार मनाया गया -

"क्या मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए और किस हद तक और किसी विशेष मामले में मार्गदर्शन दिया गया है या नहीं, यह उस विशेष अधिनियम के प्रावधानों पर विचार करने पर निर्भर करता है जिसके साथ न्यायालय को इसकी प्रस्तावना सहित निपटना है। इसके अलावा

---

[1] ए.आई.आर. 1959 पंजाब एल (पूर्ण पीठ)।

[2] ए.आई.आर. 1968 एस.सी.~ 1232

हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जिस निकाय को प्रतिनिधिमंडल दिया जाता है, उसकी प्रकृति भी यह निर्धारित करने में ध्यान में रखा जाने वाला एक कारक है कि प्रतिनिधिमंडल के मामले में पर्याप्त मार्गदर्शन है या नहीं।

20. शीर्ष सोसाइटी जो अपने सदस्य समाज को धन की आपूर्ति करती है, उससे यह जानने की उम्मीद की जाती है कि एक विशेष मानक और सेवा की सुरक्षा के अधिकारी उसके द्वारा उन्नत धन को संभालने के लिए सबसे उपयुक्त होंगे। इसके द्वारा केवल भर्ती और सेवा की शर्तों के विनियमन के संबंध में नियम तैयार किए जाने हैं। अधिनियम की धारा 84-ए (2) को लागू करके, विधायिका ने अपनी नीति को एक स्पष्ट अभिव्यक्ति दी है और अपने आवश्यक विधायी कार्यों को किसी बाहरी एजेंसी के पक्ष में नहीं सौंपा है। याचिकाकर्ता की ओर से उठाया गया दूसरा तर्क भी खारिज किए जाने के योग्य है और मैं तदनुसार आदेश देता हूं।

21. ऊपर उल्लिखित कारणों से, मैं यह कहूंगा कि अधिनियम की धारा 84-क के अंतर्गत बनाए गए नियम अधिनियम की धारा 23(1) में दिखाई देने वाले प्राथमिक सहकारी समिति के प्रबंध निकाय के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते हैं और अधिनियम की धारा 84-क को अधिनियमित करके विधायिका ने अपने आवश्यक विधायी कार्यों को नहीं छोड़ा है। तदनुसार, मैं आदेश दूंगा कि इस याचिका को बिना किसी आदेश के खारिज कर दिया जाए।

माननीय न्यायाधीश भूपिंडएर सिंह ढीलों —मैं सहमत हूँ.

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय, वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके, और किसी अन्य उद्देश्य के लिया इसका उपयोग नहीं किया जा सकेगा। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

जिज्ञासा शर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी